


राजस्थान-सरकार
राष्ट्रीय लोक अदालत ताल्लुका बुहाना जिला झुंझुनू (राजस्थान)
(दिनांक 12.03.2022 शनिवार)
लोक अदालत बैच न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतडी


राजस्व प्रकरण प्रार्थना पत्र सं. - 169/2022

GCMS NO-

विद्यादा बनाम तहसीलदार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.03.2022	<p>आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत बैताल्लुका बुहाना न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतडी बैच के समक्ष प्रस्तुत हुई। तहसीलदार बुहाना जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी उपस्थित । तहसीलदार बुहाना उपस्थित । प्रार्थी बैच के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन किया है कि इस पत्रावली में चाहा गया अनुतोष राजस्व कैम्प में मुझे पूर्व ही प्राप्त हो चुका है। अपना प्रार्थना पत्र आगे नहीं चलाना चाहता है। प्रार्थना पत्र को विद्वा करने की कृपा करे। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार बुहाना की जांच रिपोर्ट के अनुसार नामान्तरण संख्यादिनांक.....के द्वारा प्रार्थी का नाम शुद्ध हो चुका है। इसलिए प्रार्थना पत्र को आगे चलाया जाना कोई उचित नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विद्वा किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार बाद तकमिल दाखिल वक्तर हो।</p>	<p>1</p>


(श्रीकांत (सुनील कुमार चौहान)
सदस्य सदस्य
अधिवक्ता उपखण्ड अधिकारी बुहाना


(दीपक कुमार)
अध्यक्ष
न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतडी

